

13 06  
2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री चन्द्रेश कुमार सावैयाँ, पिता- स्व० लादुरा सावैयाँ ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना-580, खाता नं०-39, प्लॉट नं०-186, रकवा- 0.10 एकड़ भूमि क्रेता पवन कुमार देवगम, पिता- श्री जमदार देवगम, ग्राम- डोंकाहातु, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम झारखण्ड के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं० 283/2015-16 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-351, दिनांक 07.06.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता पवन कुमार देवगम, पिता- श्री जमदार देवगम, ग्राम- डोंकाहातु, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री चन्द्रेश कुमार सावैयाँ, पिता- स्व० लादुरा सावैयाँ ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम ने क्रेता श्री पवन कुमार देवगम, पिता- श्री जमदार देवगम, ग्राम- डोंकाहातु, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास 4,89,500,00 (चार लाख नवासी हजार पाँच सौ) रूपये में मौजा- गितिलपी, थाना-580, खाता नं०-39, प्लॉट नं०-186, रकवा- 0.10 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की.....  
31/06/2020

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा